



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229654
CG-DL-E-15092021-229654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3471]
No. 3471]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

का.आ. 3783(अ).—औषध विभाग द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट पत्रों के द्वारा दिये गए निर्देशों के कार्यान्वयन में और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का.आ. 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेशों के अधिकरण में, जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्दिष्ट पैकों से है, उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4), और (8) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कम्पनियों के नाम सहित स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

नाम	अनुसूचित विनिर्दिष्ट का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (₹.)	पुनर्विलोकन आदेश सं. एवं तारीख	मौजूदा का.आ. सं. एवं तारीख	विनिर्माता और विपणन कंपनी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	विटामिनडी 3 (कोलेक्सिफेरोल) ओरल्ली डिसिटेग्रिटिंग्स स्ट्रिप्स	प्रत्येक ओरल्ली डिसिटेग्रिटिंग्स स्ट्रिप्स: विटामिनडी 3 (कोलेक्सिफेरोल) आईपी 60000 आईयू	प्रत्येक स्ट्रिप्	30.39	31015/06/2021- मूल्य निर्धारण (16530) का दिनांक 08.09.2021	1724(अ) दिनांक 30.04.2021 (क्र. सं. 20)	मैसर्स ज़िम लेबोरेटरीज लि. / मैसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

नोट :

(क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।

(ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म ट में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्ष के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।

(ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उपर्युक्त जेनेरिक/समान संरचना वाला कोई भी ब्रांड/ संबंधित विनिर्मितियों की प्रबलता तथा सरकार द्वारा निर्धारित लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।

(च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

[कां. सं./223/91/2021/एफ/फा. सं. 8(91)/2021/डीपी/एनपीपीए-डिवी.II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 15th September, 2021

S.O. 3783(E).—In line with the directions given by the Department of Pharmaceuticals (DOP) vide letters specified in column (6) of the table herein below and in exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S. O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order(s) of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) specified in the Column (7) of the table, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (5) of the table herein below as the retail price, exclusive of goods and services tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (8) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation	Dosage form & Strength	Unit	Retail Price (Rs.)	DoP Letter no. and Date	Existing S.O. number & date	Manufacturer & Marketing Company respectively
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Vitamin D3 (Cholecalciferol) orally disintegrating strips	Each orally disintegrating strips contains: Vitamin D3 (Cholecalciferol) IP 60000 IU	Per Strip	30.39	31015/06/2021- Pricing (16530) dated 08.09.2021	1724(E) dated 30.04.2021 (at Sl. No. 20)	M/s. Zim Laboratories Ltd. / M/s. Cadila Pharmaceuticals Ltd.

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulations i.e. "new drug" under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.

- (b) The manufacturer may add goods and services tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (e) The above mentioned retail prices are applicable only to the manufacturer / marketer as mentioned above for generic / any brand of the same composition / strength of the subject formulations, subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.

[P.N./223/91/2021/F/F. No. 8(91)/2021/DP./NPPA/Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director